



# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rlsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in

website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक:—एफ7(190)/रालसा/संस्था—कार्य दिवस पत्रावली/2022/ 289 दिनांक: 28/5/22

## कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश संख्या Gen/XII/05/2022/SC-1/1000 दिनांक 10.05.2022 के अनुसरण में समस्त न्यायिक अधिकारीगण को उनके विकल्पानुसार 10 दिवस के ग्रीष्मावकाश के उपभोग की अनुमति देने का निर्णय किया गया है, किन्तु कोई भी न्यायिक अधिकारी को उक्त ग्रीष्मावकाश दो भाग में देय नहीं होगा। (आदेशों की प्रति संलग्न है)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण के पक्ष में निर्देशानुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.05.2022 में वर्णित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत नियमानुसार 10 दिवस के ग्रीष्मावकाश के उपभोग की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस संबंध में पदस्थापित अधिकारीगण यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ग्रीष्मावकाश अवधि के दौरान उनके लिंक अधिकारी उपस्थित रहें ताकि कार्यालय का कार्य बाधित ना हो एवं विधिक सेवा कार्यक्रमों की क्रियान्विति भी यथावत रहे।

अतः समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि 30 मई 2022 से 26 जून 2022 कुल 28 दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 10 दिवस के ग्रीष्मावकाश के इच्छुक अधिकारीगण दिनांक 30.05.2022 से पूर्व उक्त अवकाश उपभोग करने की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

आज्ञा से

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,  
जयपुर।

क्रमांक:—एफ7(190)/रालसा/संस्था—कार्य दिवस पत्रावली/2022/11905-11962 दिनांक: 28/5/22  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान उच्च न्यायानय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर
3. निजी सचिव माननीय जज इंचार्ज महोदय मिडियेशन राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर
4. सदस्य सचिव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली।
5. रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
7. अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
8. निदेशक/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव प्रथम/द्वितीय/एपी एवं एडीआर रालसा
9. सचिव राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
10. वरिष्ठ उप सचिव/लेखाधिकारी/संस्थापन शाखा/लेखा शाखा, रालसा जयपुर।
11. संबंधित कोषाधिकारी, कोष कार्यालय।
12. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
13. संबंधित पत्रावली/आदेश रक्षित पत्रावली।

निदेशक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,  
जयपुर।